सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 2, मंगलवार, शाके 1943–अगस्त 24, 2021 *Bhadra 2, Tuesday, Saka 1943- August 24, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2021

जी.एस.आर.323 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 28 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) यदि किसी व्यक्ति ने, जो ऊपर उप-नियम (1) के अधीन चयनित हो और संबंधित पद पर इन नियमों के अनुसार किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के प्रति, जिसके लिये इन नियमों के अनुसार आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई थी, नियुक्त किया गया हो, किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में त्यागपत्र दे दिया है या उसकी मृत्यु हो गयी है, तो उस स्थिति में उक्त रिक्ति को नई रिक्ति के रूप में माना जाएगा।"

[सं.एफ 5(2)डीओपी/ए-II /91-पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, August 18, 2021

G.S.R.323 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of the India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Computer State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 28.- The existing sub-rule (2) of rule 28 of the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992 shall be substituted by the following, namely:-

"(2) If a person, selected under sub-rule (1) above and appointed to a post concerned in accordance with these rules against the vacancies of a particular year for which the competitive examination was conducted by the Commission or Appointing Authority, as the case may be, in accordance with these rules, has resigned or expired in any subsequent year, in that event the said vacancies shall be treated as a fresh vacancy."

[No. F5(2)DOP/A-II/91-Pt.]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।